



2026:AHC:126145 DB

आदेश सुरक्षित दिनांक :- 26.05.2026.

आदेश प्रदत्त दिनांक :- 08.06.2026.

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 658 सन् 2026

शांतनु भारतिया

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मानसी सिंह, राम एम. कौशिक, सामिक्षा चौहान

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

चैम्बर में:

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम एम. कौशिक तथा राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित अनुतोष प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है:-

"क) प्रत्यर्थीगण को यह निर्देशित/आदेशित करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए कि वे बंदी/याचिकाकर्ता को उनकी अवैध अभिरक्षा से प्रस्तुत करें तथा मुक्त करें, तथा याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी, निरुद्धि एवं रिमांड को अवैध, मनमाना, शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाए;

ख) उत्प्रेषण की प्रकृति की रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए, जिसमें अभिलेख तलब करते हुए विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा पारित दिनांक 27.04.2026 के

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिमांड आदेश तथा उसके पश्चात् पारित किसी भी रिमांड आदेश/निर्णयों को अवैध, प्रारंभ से ही शून्य होने के आधार पर अपास्त किया जाए;

ग) परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी किया जाए ताकि प्रत्यर्थी सं. 1 के दोषी पुलिस अधिकारियों की कार्यवाहियों के संबंध में विभागीय जांच प्रारंभ की जाए।

घ) वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह माननीय न्यायालय जो भी अन्य रिट, आदेश अथवा निर्देश उचित एवं समुचित समझे, जारी किया जाए।

ड) याचिका की लागत प्रदान की जाए।"

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि बंदी को दिनांक 25.04.2026 को लगभग दोपहर 1:30 बजे उसकी माता की उपस्थिति में उसके स्वयं के निवास स्थान सदर बाजार, आनंद बाग, थाना कैंट, जनपद प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी असैनिक वेशभूषा पहने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई तथा गिरफ्तारी हेतु प्रयुक्त वाहन पर कोई पंजीकरण संख्या अंकित नहीं थी। बंदी की माता अथवा परिवार के अन्य सदस्यों को न तो गिरफ्तारी के आधार, न ही गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया गया और न ही कोई गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार अथवा तामील किया गया। प्राथमिकी सं. 0133 सन् 2026, थाना सिविल लाइन्स, कमिश्नरेट, प्रयागराज, बी.एन.एस., 2023 की धारा 326(छ) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 के अंतर्गत दिनांक 25.04.2026 को रात्रि 19:55 बजे पंजीकृत की गई, अर्थात् स्पष्टतः याचिकाकर्ता (बंदी) की गिरफ्तारी के पश्चात्। बंदी की माता ने अपने पुत्र की खोज की, किंतु क्षेत्राधिकार पुलिस द्वारा उसके ठिकाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई और इस प्रकार दिनांक 25.04.2026 को क्षेत्राधिकार पुलिस थाना अर्थात् थाना कैंट, प्रयागराज के समक्ष गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया गया। तथापि, ऐसी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और उसे पंजीकृत नहीं किया गया। तत्पश्चात्, बंदी के बड़े भाई द्वारा एक ई-प्राथमिकी सं. 202600041610 दर्ज कराई गई। गिरफ्तारी ज्ञापन से यह स्पष्ट है कि बंदी को दिनांक 27.04.2026 को घटनास्थल से प्राथमिकी सं. 0133 सन् 2026, थाना सिविल

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लाइन्स, कमिशनरेट, प्रयागराज, बी.एन.एस., 2023 की धारा 326(छ) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4 के संबंध में गिरफ्तार दर्शाया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता-बंदी को किसी भी सांविधिक अथवा संवैधानिक अधिदेश का पालन किए बिना गिरफ्तार किया गया तथा इसके अतिरिक्त, उसे उसकी गिरफ्तारी/निरुद्धि के 24 घंटे के भीतर क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जो बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 58 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 22 का घोर उल्लंघन है। याचिकाकर्ता (बंदी) की गिरफ्तारी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) 1 एस.सी.सी. 416 के प्रकरण में प्रतिपादित दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। चूंकि याचिकाकर्ता-बंदी की गिरफ्तारी स्वयं ही अवैध एवं असंवैधानिक है, अतः किसी भी पश्चातवर्ती रिमांड आदेश के पारित होने मात्र से उसे विधिमान्य नहीं ठहराया जा सकता। गिरफ्तारी ज़ापन में घटनास्थल के निकट दिनांक 27.5.2026 को प्रातः 11:30 बजे उसकी गिरफ्तारी का समय दर्शाया गया है तथा गिरफ्तारी के कारणों एवं आधारों से संबंधित कॉलम 12 एवं कॉलम 13 मात्र सांविधिक प्रपत्र की पुनरावृत्ति हैं तथा पूर्णतः सामान्य प्रकृति के हैं और बंदी-याचिकाकर्ता के विशिष्ट संदर्भ में नहीं हैं। गिरफ्तारी के कोई स्वतंत्र स्थानीय साक्षी नहीं हैं, जो बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 36(क), 36(ख)(i) तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.के. बासु (उपरोक्त) में जारी दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन है। वस्तुतः, विवेचक अधिकारी/गिरफ्तार करने वाला अधिकारी स्वयं ही गिरफ्तारी ज़ापन में साक्षी है, जो स्पष्टतः मनमाना एवं अवैध है। गिरफ्तारी ज़ापन में पदाभिहित अधिकारी को गिरफ्तारी की सूचना दिए जाने से संबंधित कोई भी श्रेणी सम्मिलित नहीं है। गिरफ्तारी ज़ापन में ऐसे किसी कॉलम का अभाव उ.प्र. बी.एन.एस.एस. नियमावली, 2024 के अध्याय-7 के नियम 25 सहपठित धारा 37 तथा परिपत्र सं. 25/2025 दिनांक 25.7.2025 के श्रेणी 6 का एक और घोर उल्लंघन है। उक्त परिपत्र का श्रेणी 6 स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित करता है कि गिरफ्तारी ज़ापन में पदाभिहित अधिकारी को गिरफ्तारी की सूचना दिए जाने से संबंधित कॉलम अनिवार्य रूप से होना चाहिए तथा उसका भरा जाना अनिवार्य है। तथापि,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गिरफ्तारी ज़ापन में ऐसा कोई कॉलम विद्यमान नहीं है, न ही ऐसा कोई अनुपालन किया गया है।

5. दिनांक 27.5.2026 का रिमांड आदेश इस तथ्य पर विचार किए बिना पारित किया गया है कि याचिकाकर्ता को वस्तुतः दिनांक 25.4.2026 को गिरफ्तार किया गया था तथा गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। यद्यपि गिरफ्तारी ज़ापन रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तथापि गिरफ्तारी ज़ापन में प्रथम दृष्टया स्पष्ट अवैधताओं पर विचार किए बिना, तथा याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी विधिपूर्वक की गई थी या नहीं, इस संबंध में कोई निष्कर्ष अभिनिर्धारित किए बिना, आक्षेपित रिमांड आदेश दिनांक 27.5.2026 बिना किसी विवेक के प्रयोग के पारित किया गया। अतः, आक्षेपित रिमांड आदेश दिनांक 27.5.2026 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धांत का घोर उल्लंघन है:

i. मधु लिमये के संबंध में (1969) 1 एस.सी.सी. 292;

ii. जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994) 4 एस.सी.सी. 260; तथा

iii. अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) 8 एस.सी.सी. 273.

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का आगे यह निवेदन है कि यह सुस्थापित विधि है कि रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत, रिमांड के पश्चात् आती है तथा सामान्यतः जब न्यायालय रिमांड हेतु किसी अनुरोध पर विचार करता है तो जमानत हेतु एक आवेदन होगा और जब जमानत स्वीकृत नहीं की जाती तो रिमांड होगा। याचिकाकर्ता की जमानत प्रार्थना पत्र रिमांड मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 27.05.2026 के आदेश से इस प्रकार निरस्त की गई है जो याचिकाकर्ता की अवैध गिरफ्तारी में विद्यमान स्पष्ट सांविधिक एवं संवैधानिक उल्लंघनों पर विचार किए बिना यांत्रिक रूप से पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त आदेश दिनांक 27.5.2026 में याचिकाकर्ता की अभिरक्षा की आवश्यकता के संबंध में कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया गया है और न ही जमानत के किन्हीं मानदंडों पर विचार किया गया है। उक्त आदेश एक अकारण आदेश है। तत्पश्चात् याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायालय/एफ.टी.सी., न्यायालय सं. 2,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रयागराज के समक्ष दिनांक 8.5.2026 के आदेश द्वारा जमानत हेतु आवेदन किया, जिसमें विशेष रूप से यह अभिकथित किया गया था कि याचिकाकर्ता को 24 घंटे के भीतर रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था, तथापि इस पर कोई विवेक लगाए बिना और उक्त पहलू पर कोई निष्कर्ष अभिनिर्धारित किए बिना, याचिकाकर्ता (बंदी) की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दी गई। सविनय निवेदन है कि जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त होने के पश्चात् भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट पोषणीय है। इस संबंध में निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता व्यक्त की गई है:

i. हनुमंत जग्गनाथ नाजिरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन:

ii. मधु लिमये के संबंध में (1969) 1 एस.सी.सी. 292:

iii. मनुभाई रतिलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य (2013) 1 एस.सी.सी. 314; तथा

iv. सैथिल बालाजी बनाम उप निदेशक (2024) 3 एस.सी.सी. 51:

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि इस प्रकरण में याचिकाकर्ता की जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान मजिस्ट्रेट तथा सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है तथा अभी तक इस प्रकरण में कोई आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यह निवेदन किया गया है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कोई अवैधता नहीं है और अतः, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पोषणीय नहीं है।

8. प्रतिद्वंद्वी निवेदनों को सुनने के पश्चात्, यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता का दिनांक 25.04.2026 का गिरफ्तारी ज्ञापन यह दर्शाता है कि उसे शिकायतकर्ता के कथन, घटनास्थल के निरीक्षण, सी.सी.टी.वी. फुटेज, साक्षियों के कथनों, स्वतंत्र साक्षियों के कथन तथा विवेचक अधिकारी द्वारा एकत्रित अन्य साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी ज्ञापन की प्रति निरुद्ध-याचिकाकर्ता को प्रदान की गई थी, किंतु उसके किसी भी रिश्तेदार अथवा मित्र को नहीं। गिरफ्तारी के आधार भी याचिकाकर्ता को एक पृथक शीट पर उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें यह उल्लिखित है कि वह अपने मित्रों को बम उपलब्ध कराने में संलिप्त था तथा उसने

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9280 रेस्टोरेंट को पर्याप्त क्षति पहुंचाई है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभिकथित अपराध गंभीर एवं अजमानतीय अपराध है। उसे गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराए गए हैं।

9. आगे बढ़ने से पूर्व, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 का अवलोकन आवश्यक है:

"22. कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और कैद से संरक्षण:

(1) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है, यथाशीघ्र ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दिए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और उसके द्वारा प्रतिरक्षा किए जाने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाता है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा में लगने वाले समय को छोड़कर, ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और किसी भी ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

(3) श्रेणी (1) और (2) में की कोई बात—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो उस समय शत्रु विदेशी है; अथवा

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो निवारक निरुद्धि का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्धि किया गया है।

(4) निवारक हिरासत का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति के निरुद्धि को तीन मास से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि—

(क) ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बना एक सलाहकार समिति, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, रह चुके हैं, या नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं, उक्त तीन मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व यह आख्या न दे कि उसकी राय में ऐसे निरुद्धि के लिए पर्याप्त कारण हैं:

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परंतु इस उपश्रेणी की कोई बात श्रेणी (7) के उपश्रेणी (ख) के अधीन संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा विहित अधिकतम अवधि से अधिक किसी व्यक्ति के निरुद्धि को प्राधिकृत नहीं करेगी; अथवा

(ख) ऐसा व्यक्ति श्रेणी (7) के उपश्रेणी (क) और (ख) के अधीन संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध किया जाता है।

(5) जब किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जाता है, तब आदेश करने वाला प्राधिकारी, यथाशीघ्र, ऐसे व्यक्ति को उन आधारों की जानकारी देगा जिन पर आदेश किया गया है और उसे आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का शीघ्रतम अवसर देगा।

(6) श्रेणी (5) में की कोई बात उस श्रेणी में निर्दिष्ट आदेश करने वाले किसी प्राधिकारी से ऐसे तथ्यों को प्रकट करने की अपेक्षा नहीं करेगी जिन्हें ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध प्रकट करना समझता है।

(7) संसद, विधि द्वारा, विहित कर सकेगी—

(क) वे परिस्थितियां जिनके अधीन, और मामलों का वह वर्ग या वर्ग जिनमें, किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन श्रेणी (4) के उपश्रेणी (क) के उपबंधों के अनुसार सलाहकार समिति की राय प्राप्त किए बिना तीन मास से अधिक की अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा;

(ख) वह अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन मामलों के किसी वर्ग या वर्गों में निरुद्ध किया जा सकेगा; और

(ग) श्रेणी (4) के उपश्रेणी (क) के अधीन जांच में सलाहकार समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।"

10. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरुद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार अथवा हिरासत किए गए व्यक्तियों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की रक्षा करना है। यह व्यक्तियों को मनमानी गिरफ्तारी एवं हिरासत

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी अथवा निरुद्धि के आधारों की जानकारी दिए बिना गिरफ्तार अथवा निरुद्ध नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 यह गारंटी देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस उपबंध का उद्देश्य समुचित न्यायिक निगरानी के बिना अवैध एवं दीर्घकालिक हिरासत को रोकना है। यह गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने तथा उसके द्वारा प्रतिरक्षा किए जाने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार यह सुनिश्चित करने में सहायक है कि व्यक्तियों को गिरफ्तारी एवं निरुद्धि की प्रक्रिया के दौरान समुचित विधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी एवं निरुद्धि के आधारों की जानकारी दी जानी चाहिए। उन्हें अपनी गिरफ्तारी के पीछे के कारणों को जानने का अधिकार है, जिससे वे अपने विधिक अधिकारों का प्रभावी रूप से प्रयोग कर सकें।

11. डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) के प्रकरण में, डॉ. दिलीप कुमार बासु द्वारा अभिरक्षा हिंसा के एक प्रकरण से संबंधित जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने अभिरक्षा हिंसा तथा अभिरक्षा में हुई मृत्यु से संबंधित कठोर दिशानिर्देश प्रतिपादित किए। ये दिशानिर्देश गिरफ्तारी एवं निरुद्धि के सभी प्रकरणों में तब तक अनुपालित किए जाने हैं जब तक अभिरक्षा में रखे गए व्यक्ति के संरक्षण हेतु विधिक उपबंध नहीं बनाए जाते।

12. याचिकाकर्ता के दिनांक 25.04.2026 के गिरफ्तारी ज्ञापन के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इस प्रकरण में अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन हुआ है। याचिकाकर्ता के गिरफ्तारी ज्ञापन में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि याचिकाकर्ता को अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने तथा उसके द्वारा प्रतिरक्षा किए जाने के अधिकार से अवगत कराया गया था, न ही ऐसा प्रतीत होता है कि उसके किसी भी रिश्तेदार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया था। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उसे उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था या नहीं।

13. हम आगे यह भी पाते हैं कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी का स्थान गिरफ्तारी ज्ञापन से स्पष्ट नहीं है और अतः, डी.के. बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



610 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा बार में उद्धृत अन्य निर्णयों का उल्लंघन है।

14. उपरोक्त विचार के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी एवं निरुद्धि अवैध घोषित की जाती है तथा उसे तत्काल मुक्त किए जाने का निर्देश दिया जाता है।

15. बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका **स्वीकार** की जाती है।

16. इस आदेश की प्रति कार्यालय द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किए जाने पर आज ही निर्गत की जाए।

17. तथापि, यदि आवश्यक हो, तो प्रत्यर्पण के लिए यह खुला रहेगा कि वे विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध पुनः कार्यवाही करें।

8 जून 2026

अभिषेक

(माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी) (माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।